झारखण्ड सरकार,

जल संसाधन विभाग

आदेश

आ॰सं॰–11/मु॰–04–12/2021 :– राँची, दिनांक–

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–682 दिनांक–11.10.2022 द्वारा केशो जलाशय योजना अंतर्गत पुनर्वास से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु ई॰ सजीत जॉन होरो, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, बरही को पुनर्वास पदाधिकारी, केशो जलाशय योजना के कार्य करने हेतु नामित करते हुए इस आदेश की सम्पुष्टि हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है।

उक्त आदेश ज्ञापांक में यह भी उल्लेख है कि इसी प्रमण्डल के अंतर्गत पंचखेरो जलाशय योजना अंतर्गत कार्यपालक अभियंता पुनर्वास से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु पुनर्वास पदाधिकारी नामित है।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–682 दिनांक–11.10.2022 के आलोक में ई॰ संजीत जॉन होरो, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, बरही को उनके कार्यो के अतिरिक्त पुनर्वास पदाधिकारी, केशो जलाशय योजना तथा पुनर्वास पदाधिकारी, पंचखेरो जलाशय योजना का प्रभार सौंपें जाने संबंधी आदेश की संपुष्टि की जाती है। इसके लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

2. इसमें विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/मु॰–04–12/2021 :– राँची, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, गीरिडिह/उपायुक्त, कोडरमा/उपायुक्त, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग/ई॰ सजीत जॉन होरो, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, बरही/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, तेनुघाट परियोजना, झील रोड, हजारीबाग/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/मु॰–04–12/2021 :– 6047 राँची, दिनांक–30/11/22

प्रतिलिपिः– वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/11/22
सरकार के संयुक्त सचिव।

d:\sruti kumari\prashakha-14\14-bhu.arjan-20-2001 part-1.docx